संख्या-8/2017-525/58-2017-134/2016

प्रेषक,

इन्दुबाला कटियार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

उद्यान अनुभाग **लखनऊ:दिनांक: 30 मार्च 2017**

विषय :- **वित्तीय वर्ष 2016-17 में "राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन" की योजना के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0-18714 हजार में 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-31190 हजार को अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त **विषयक आपके पत्र संख्या-271-72**/बजट-आयोजनागत/2016-17, दिनांक **23**.03.2017 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2016-17 में अनुदान संख्या-10 के अन्तर्गत आयोजनागत पक्ष में केन्द्र पोषित चालू योजना "राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन" योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त केन्द्रांश धनराशि रू0-18714 हजार में 40 प्रतिशत राज्यांश की धनराशि सम्मिलित करते हुए कुल धनराशि रू0-31190 हजार (रूपये-तीन करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार) मात्र को अधोलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त करते हुए निम्नलिखित विवरण के अनुसार व्यय किये जाने की प्रशासकीय स्वीकृति के साथ आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

अनुदान सं0-10

लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन (के.60/रा.40-के.+रा.)

(धनराशि हजार रूपये में)

कोड सं0/मद का नाम	अनुपूरक सहित प्राविधान	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	वर्तमान में अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3	4
02-मजदूरी	2000	2000	
04-यात्रा व्यय	2500	300	
08-कार्यालय व्यय	3000	1800	
11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3000	1700	
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	1500	1500	
13-टेलीफोन	800	277	
15-गाड़ियों का अनुरक्षण	10458	8000	
16-व्यावसायिक सेवाओं के लिए भुगतान	14415	5200	
18-प्रकाशन	4390	4390	

http://shasanadesh.up.nic.in

19-विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2000	1000	
27-सब्सिडी	441586	331645	31190
29-अनुरक्षण	2000	200	
42-अन्य व्यय	34198	21681	
43-सामग्री एवं सम्पूर्ति	2000	2000	
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	22840	22840	
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	4350	4000	
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी	2500	1400	
योग-	**553537**	**409933**	**31190**

(रूपये-तीन करोड़ ग्यारह लाख नब्बे हजार मात्र)

1- केन्द्रीय योजनाओं को ट्रेजरी के माध्यम से चलाये जाने के निर्णय के फलस्वरूप संदर्भित योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा गत वर्ष संशोधित नवीन पैटर्न के अनुसार केन्द्रांश व राज्यांश के क्रमश: 60:40 प्रतिशत के अनुपात में वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016-17 में धनराशि व्यय की जायेगी। अतएव भारत सरकार से कार्ययोजना के अनुमोदन तथा केन्द्रांश की धनराशि की स्वीकृति निर्गत हो जाने की स्थिति में आवश्यकतानुसार आहरण की कार्यवाही की जाय।

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय नियमानुसार आवंटित परिव्यय सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।

3- अवमुक्त की जा रही धनराशि का भारत सरकार से प्राप्त केन्द्रांश के सापेक्ष केन्द्रांश/राज्यांश का समायोजन किया जायेगा।

4- प्रस्तर-1 में दी गयी शर्त के अनुसार नियमानुसार केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि का व्यय, राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजनान्तर्गत भारत सरकार कृषि मंत्रालय के निर्देशानुसार राज्य औद्यानिक मिशन/जिला औद्यानिक मिशन नियमावली में निहित प्राविधानों के तहत किया जायेगा एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.3.2016 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- उक्त धनराशि का व्यय जनपदवार भारत सरकार से स्वीकृत परिव्यय/योजना के अनुसार निर्धारित नवीन फन्डिंग पैटर्न के अनुरूप ही भारत सरकार से अनुमोदित कार्ययोजना के अन्तर्गत नियमानुसार किया जायेगा। इसमें किसी प्रकार का विचलन वित्तीय अनियमितता माना जायेगा तथा किसी भी प्रकार का व्यावर्तन स्वीकार नहीं किया जायेगा।

6- जिन मामलों में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्ड बुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति सक्षम प्राधिकारी से अवश्य प्राप्त कर ली जाय।

7- अतिरिक्त धनराशि की प्रत्याशा में अनाधिकृत एवं अधिक व्यय किसी भी दशा में नहीं किया जायेगा। व्यय आवंटित सीमा तक ही रखा जाय।

8- शासकीय व्यय में मितव्ययिता नितान्त आवश्यक है। वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी दिशा निर्देशों सहित मितव्ययिता के सम्बन्ध में जारी शासनादेशों का अनुपालन प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाय।

9- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण व वित्त नियंत्रक इस बात को सुनिश्चित करने के लिए

http://shasanadesh.up.nic.in

उत्तरदायी होंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाये।

10- भण्डार क्रय नियमों एवं शासन के सुसंगत नियमों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

11- उक्त प्रस्तर में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन विभाग में कार्यरत जनपदीय अधिकारी/ वित्त नियंत्रक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा। यदि निर्धारित शर्तों में किसी प्रकार का विचलन हो, तो सम्बन्धित वित्त नियंत्रक का दायित्व होगा कि उनके द्वारा मामले को पूर्ण विवरण सहित सूचना शासन/वित्त विभाग को तत्काल दिया जाय।

12- यदि विभाग द्वारा भारत सरकार/शासन द्वारा निर्धारित शर्तों का विचलन किया जाता है, तो उसके लिए निदेशक, उद्यान/मिशन उद्यान तथा वित्त नियंत्रक उद्यान विभाग एवं सम्बन्धित जनपद के जिला उद्यान अधिकारी/अधीक्षक, राजकीय उद्यान सीधे उत्तरदायी होंगे।

13- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय विवरण दिनांक 31.03.2017 तक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

14- अप्रयुक्त धनराशि शासन को यथासमय समर्पित की जायेगी।

15- वित्त लेखा अनु0-1 के शासनादेश दिनांक 29 मई 2012 द्वारा समस्त भुगतान **NEFT/RTGS** के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली लाभार्थी के खाते में सीधे क्रेडिट किये जाने के निर्देश दिये गये हैं, अत: उक्त स्वीकृत धनराशि का भुगतान तदनुसार सुनिश्चित किया जाय।

16- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय अनुदान सं0-10 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 के आय-व्ययक में लेखाशीर्षक 2401-फसल कृषि कर्म-आयोजनागत-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-01-केन्द्रीय प्रायोजित योजनायें-0101-राष्ट्रीय औद्यानिक मिशन योजना के अन्तर्गत उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित मानक मदों के नामें डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016 दिनांक 22.3.2016 में प्रदत्त अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

<u>संख्या-8/2017-525(1)/58-2017, तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(2) महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम, उ0प्र0 इलाहाबाद ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0शासन।
(5) वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।
(6) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उ0प्र0शासन।
(7) वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
(8) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(इन्दुबाला कटियार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in